

संख्या 370/05/5/08



### सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 89- 2008

फाइल संख्या A2-7882

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राम पूजन समाज शिक्षण सेवा

संस्थान राम - गोरखपुर पोस्ट - जिला लखीमपुर-बुंदेलखण्ड


को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 12/2003-04

दिनांक 16/4/2003 को दिनांक 15/4/2008 से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

240/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से दा हो गयी है।

दिनांक 5/5 2008

  
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर को सम्बोधित अनुसचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 3667/सत्तर-6-2008-2(5)/2005टीसी दिनांक 22 अक्टूबर,  
2008 की टंकित प्रति:-

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- पू0वि0वि0/सम्ब0/03(एक)/2008/1917, दिनांक 03.09.2008 के  
संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973  
(यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय, संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल  
रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के  
अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में  
स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति  
प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या- 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में  
उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय  
द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की  
गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,  
ह0/-  
(आर.के. मिश्र)  
अनु सचिव

\*\*\*\*\*

## वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब./01 (एक)/2008/3969



दिनांक- 19/12/2008

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़ को सूचनार्थ  
प्रेषित।
2. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

19/12/2008  
कुलसचिव

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2008

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू०वि०वि० / सम्ब० / 03(एक) / 2008 / 1917, दिनांक 03.09.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-3667(1) / सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।



पत्र संख्या: 872/जी.एस.  
दिनांक: 10.6.05

कुलसचिव  
बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय  
जानपुर, (उ०प्र०)  
उत्तर प्रदेश,

प्रबन्धक,  
रामपजन स्मारक महाविद्यालय,  
गौरहरपुर, अतरौलिया, अजमेरगढ़ ।

विषय:- कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

श्रीमान्,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलाधिपति कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-ई.स. 872/जी.एस., दिनांक-10.6.05 द्वारा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र विषयों में इस शर्त के साथ कि महाविद्यालय समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, के अधीन दिनांक-1.7.2005 से आगामी तीन वर्ष के लिए सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की है । कुलाधिपति कार्यालय द्वारा निर्गत उक्त पत्र के परिच्छेद में कुलाधिपति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार छात्रों के प्रवेश एवं कक्षा संचालन की सहज अनुमति केवल सत्र 2005-06 में निम्न विवरण के अनुसार प्रदान कर दी है ।

<u>विषय</u>	<u>छात्र संख्या</u>
हिन्दी	60
संस्कृत	60
प्राचीन इतिहास	60
राजनीतिशास्त्र	60
अर्थशास्त्र	60
भूगोल	40
समाजशास्त्र	60

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित हैं विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त किए बिना अगले शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष में प्रवेश कदापि नहीं करेंगे अन्यथा ऐसे प्रवेशित छात्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय आयोजित नहीं करेगा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा ।

भवदीय,  
20/1/06  
उप कुलसचिव  
सम्बद्धता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ ।

2. लडा. कुलसचिव, परीक्षा को सूचनार्थ ।

उप कुलसचिव  
सम्बद्धता

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय  
जौनपुर (उ.प्र.)



पत्रांक: 221 / सम्बद्धता / 2005

दिनांक: 22-10-2005

सेवा में,

प्रबन्धक  
रामपूजन स्मारक महाविद्यालय,  
गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़।

विषय - रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़ में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत  
घयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 05-08-05 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस  
सन्दर्भ में सूचित करना है कि घयन समिति द्वारा की गयी सस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये  
अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 09  
मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये  
जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी  
तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा किया गया अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा  
जाएगा।

1. डॉ० साधना राय	प्रवक्ता	संस्कृत
2. डॉ० सुरेश चन्द्र मिश्र	प्रवक्ता	प्राचीन इतिहास
3. डॉ० उमाशंकर सिंह	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र
4. डॉ० प्रशान्त नमन	प्रवक्ता	हिन्दी
5. डॉ० रेनु सिंह	प्रवक्ता	राजनीतिशास्त्र
6. डॉ० नितेश कुमार यादव	प्रवक्ता	भूगोल
7. डॉ० राणा नरेन्द्र प्रताप सिंह	प्रवक्ता	समाजशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति  
एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय का  
उपलब्ध कराये तथा इस के साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि  
का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय

कुलसचिव

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल  
विश्वविद्यालय  
जौनपुर।



FAX: 05452-252344, 05452-252344 A.P.H. KAWA...

पत्रांक: पु.वि.वि / सम्बद्धता / 01-44 (जीन) / 2009 / 11

दिनांक- 9.11.2009

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रामपूजन स्मारक महाविद्यालय,  
गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़।

विषय:-

रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, गोरहरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़ में स्ववित्तपोषी याजनान्तर्गत चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक- 13.10.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारापरान्त कुलपति महादय ने निम्नलिखित प्राचार्य को संविदा के आधार पर अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अर्थात् 16.01.2012 तक एवं प्रवक्ता का शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलाोक में स्ववित्तपोषी याजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार हागा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	प्राचार्य/प्रवक्ता
1. डा. अवधनारायण सिंह	श्री यदुनाथ सिंह	17.01.1947	प्राचार्य
2. श्री चन्द्र कुमार चतुर्वेदी	श्री रामनाथ चतुर्वेदी	01.11.1969	प्रवक्ता संस्कृत

अतः उपरोक्त को सुरांगत शासनादेशों के आलाोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय  
  
कुलसचिव



# वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब /01-44 (तीन)/2007/ 6432

दिनांक: 19/9/11

सेवा में,

प्रबन्धक

रामपूजन स्मारक महाविद्यालय  
गोरहरपुर, अतरौलिया-आजमगढ़


विषय:- महाविद्यालय के कार्यरत प्रवक्ताओं के सेवा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-09.11.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक:-11 जनवरी,2008 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय से अनुमोदित निम्न प्रवक्ताओं को आगामी पाँच वर्षों हेतु सेवा-विस्तारण प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव विश्वविद्यालय अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है:-

क्रं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	विषय	जन्म तिथि	सेवा विस्तारण
1.	डा० उमाशंकर सिंह	श्री विन्ध्याचल सिंह	अर्थशास्त्र	15.02.1966	30.10.2010 से 5 वर्ष
2.	डा० रेनू सिंह	श्री उपेन्द्र सिंह	राजनीतिशास्त्र	12.07.1978	30.10.2010 से 5 वर्ष

भवदीय

  
15/9/2011  
कुलसचिव